OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI
NEW POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Tele/Fax No. 011-20818735-36, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE : DELHI POLICE
(ORDER BY THE COMMISSIONER OF POLICE, DELHI)

NOTIFICATION

DATED: 8/06/2023.

No. 14416 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: **AD-HOC PROMOTION**:- The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant Ad-hoc Promotion to the next higher rank of HC(Exe.) to the following Constables(Exe.) with immediate effect for a period of six months or till such time they become eligible for regular promotion after having been successfully completion of the Head Constable Confirmation Course which ever is earlier on purely temporary and Ad-hoc basis, under Rule 19(i) of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980:-

S. No.	Name	Belt No.	PIS No.	C.G. No.
01.	Ct. (Exe.) Vivek Kumar	4608/T	28121219	P0806230143-0001
02.	Ct. (Exe.) Sandeep Kumar	4153/T	28121115	P0806230143-0002

They will not be entitled any right to claim for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The ad-hoc promotion shall be discontinued when they deny to undergo the prescribed training course alongwith their batch-mates without some valid reason/justification or they fails in relevant promotional training course or they are placed under suspension or D.E. is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegation of moral turpitude or corruption to major penality (as per S.O. No. HRD/30/2022).

(MAHESH BATRA)DCP/HQ (IV)
FOR COMMISSIONER OF POLICE
NEW DELHI.

No. 14417-24 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ, New Delhi dt. 8/6/2023.

Copy forwarded to the:-

1. DCP/Traffic (HQ), Delhi for information and necessary action. The individuals may be informed accordingly against his proper signature & receipt thereof be placed in his Fauzi Missal.
2. ACP/ I.T/PHQ, Delhi.
3. ACP/CB-II, PHQ, Delhi.
4. Inspr. Estt./PHQ for publication in D.P.G.
5. ACs/I, VI & Register/P.Br. PHQ.
6. I/C Computer/CB for imaging and uploading the order on the website of Delhi Police.

कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली ।

पुलिस मुख्यालय,जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष/फेक्स संख्या- 011-20818735-36, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

अधिसूचना

दिनांक 8 /06/2023

संख्या 14516 /पदोन्नति प्रकोष्ठ (ए. सी-3) कार्मिक शाखा/पु0मु0: तदर्थ पदोन्नतिः- आयुक्त पुलिस, दिल्ली निम्नलिखित सिपाहियो (कार्यकारी) को तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए या जब तक वह सफलतापूर्वक प्रधान सिपाही पुष्टिकरण कोर्स करने के पश्चात नियमित पदोन्नति के लिए पात्र ना बन जाये जो भी पहले हो, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम 1980 के नियम 19 (i) के तहत प्र0 सि0 (कार्य0) के पद पर पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	नाम	बैल्ट नं0	पीआईएस नं0	सी.जी. नं0
1.	सिपाही (कार्य0) विवेक कुमार	4608/टी	28121219	P080623-143-0001
2.	सिपाही (कार्य0) सन्दीप कुमार	4153/टी	28121115	P080623-143-0002

1/C Confirm CR

वे नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता या ऐसे किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकार का दावा करने के हकदार नही होंगे और बिना नोटिस के और बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तन के लिए संभव्य होंगे । तदर्थ पदोन्नति (स्थाई आदेश संख्या एच.आर. डी. 30/2022 के अनुसार) उस तिथि से रोक दी जाएगी जब वे बिना किसी वैध कारण/औचित्य के अपने बैचमेट्स के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जाने से इन्कार करते है या वे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में असफल हो जाये या उन्हे निलंबन या विभागीय जांच के तहत रखा गया हो या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो या नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपो पर उन्हे बडी सजा की कार्यवाही के दौरान निंदा (Censure) दी गई हो ।

(महेश बत्रा)उपा0 पुलिस/मु0-4
कृते आयुक्त पुलिस, दिल्ली ।

संख्या 14517-24/पदोन्नति प्रकोष्ठ (ए. सी-3) कार्मिक शाखा/पु0मु0 दिनांक 8/6/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. उपायुक्त पुलिस/यातायात (मुख्यालय) दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू । संबंधित को तदनुसार सूचित करते हुए उन से हस्ताक्षर पावती ली जाए और उनकी फौजी मिशल में भी लगाएं ।
2. स0 आयुक्त पुलिस/गोपनीय-2, दिल्ली ।
3. स0 आयुक्त पुलिस/आई0टी0/पु0मु0, दिल्ली ।
4. निरीक्षण/स्थापना शाखा को दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
5. प्रभारी डेस्क-I, VI एवं रजिस्टर/कार्मिक शाखा/पु0मु0 ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर/सी.बी.-पु0मु0 को आदेश की इमेंजिंग एव दिल्ली पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए ।